न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी—लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 11/2019

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी), तहसील व जिला झुंझुनूं।

— प्रार्थी

बनाम

1. पालाराम पुत्र गौमाराम, जाति मेघवाल, निवासी माखर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. (1) गुगन पुत्र मांगीलाल, जाति मेघवाल, निवासी वार्ड नं0 5, रतनशहर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. (2) संदीप पुत्र मांगीलाल, जाति मेघवाल, निवासी वार्ड नं0 5, रतनशहर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. (3) सरोज पुत्री मांगीलाल, जाति मेघवाल, निवासी वार्ड नं0 5, रतनशहर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. (4) किरण पत्नि मांगीलाल, जाति मेघवाल, निवासी वार्ड नं0 5, रतनशहर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. सुभाष पुत्र गौमाराम, जाति मेघवाल, निवासी माखर तहसील व जिला झुंझुनूं।

— अप्रार्थीगण

—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

—

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय एडवोकेट– प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री अनिल महरिया, एडवोकेट– अप्रार्थीगण सं0 1 व 3 की ओर से बावजूद सूचना के आज अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 01.08.2022

1. पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के द्वारा प्रस्तुत की गई है। रेफरेन्स के तथ्य निम्न प्रकार से है कि मौजा माखर पटवार मण्डल माखर तहसील व जिला झुंझुनूं की हाल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 277 के अनुसार ग्राम माखर मे स्थित भूमि ख0न0 321 रकबा 1.01 है0 किस्म बारानी तृतीय की खातेदारी पालाराम पुत्र गौमाराम हि0 1/03 मांगीलाल पुत्र गोमाराम हि0 1/3, सुभाष पुत्र गौमाराम हि0 [illegible] मेघवाल सा0 देह गैर खातेदार के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित [illegible] गत ख0न0 एवं पूर्व के रिकार्ड की स्थिति निम्नानुसार दर्ज रिकार्ड है:-

क्र0 स0	जमाबन्दी संवत्	खसरा [illegible]	[illegible]	[illegible]किस्म	जमीन 3 गैर मौरूसी कृषक का नाम व विवरण
1	2012	360/478	35 बीघा 8 बिश्वा	गै0मु0 नदी	राजकीय सिंचाई[illegible]
2	2025–2028	360/478	24 बीघा	गै0मु0	नोट आदेश जिलाधीश महोदय,

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 16:35:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

छाया प्रति प्रमाणित
कार्यालय अधीक्षक

		मीन	8 बिश्वा	नदी	झुंझुनू के क्रमांक 2265–67 दिनांक 10.06.67 भूमि ख0न0 360 तादादी 268 बीघा 18 बिश्वा 360/479 तादादी 23 बीघा 1 बिश्वा कुल 291 बीघा 19 बिश्वा गै0मु0 नदी में से 128 बीघा भूमि का प्रकार बारानी सोयम लगानी 62 पैसा प्रति बीघा वसूल किया जाएगा। शेष 133 बीघा 19 बिश्वा का प्रकार गै0मु0 नदी रहेगा।
3	2025–2028	360/478 मीन	4 बीघा	बारानी सोयम	भींवा पुत्र सुरजाराम जाति चमार सा0 देह गैर खातेदार।
4	2029–2032	360/478 मीन	4 बीघा	बारानी सोयम	भींवा पुत्र सुरजाराम जाति चमार सा0 देह गैर खातेदार।
5	2033–2036	360/478 मीन	4 बीघा	बारानी सोयम	भींवा पुत्र सुरजाराम जाति चमार सा0 देह गैर खातेदार।
6	2042–2045	360/478 मीन	4 बीघा	बारानी सोयम	भींवा पुत्र सुरजाराम जाति चमार सा0 देह गैर खातेदार।
7	2060–2063	321	1.01 है0	बारानी 3	भींवा पुत्र सुरजाराम जाति चमार सा0 देह गैर खातेदार।
8	2062–2065	321	1.01 है0	बारानी 3	पालाराम, मांगीलाल, सुभाषचन्द्र पि0 भींवाराम बदामी पत्नी भींवाराम जाति चमार हि0ब0हि0सा0 देह गैर खातेदार।
9	2064–2067	321	1.01 है0	बारानी 3	पालाराम, मांगीलाल, सुभाषचन्द्र पि0 भींवाराम बदामी पत्नी भींवाराम जाति चमार हि0ब0हि0सा0 देह गैर खातेदार।
10	2068–2071	321	1.01 है0	बारानी 3	पालाराम, मांगीलाल, सुभाषचन्द्र पि0 भींवाराम बदामी पत्नी भींवाराम जाति चमार हि0ब0हि0सा0 देह गैर खातेदार।
11	2074–2077	321	1.01 है0	बारानी 3	पालाराम, मांगीलाल, सुभाषचन्द्र पि0 भींवाराम बदामी पत्नी भींवाराम जाति चमार हि0ब0हि0सा0 देह गैर खातेदार।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 16:35:51 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वर्णित भूमि गै0मु0 [illegible] भूमि होने के कारण खातेदारी दी जानी उचित नहीं है। उक्त भूमि की [illegible]दारी किसी निजी व्यक्ति को दिया जाना या अन्तरण किया जा[illegible] अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है। उक्त भूमि के संबंध में किये गये समस्त प्रकार के आवंटन/नियमन/

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

छाया प्रति प्रमाणित
कार्यालय अधीक्षक

अन्तरण तथा आज तक की गई परिवर्तन की कार्यवाही प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के यहां दर्ज एस0बी0सिविल रिट पिटिशन संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के अन्दर दिये गये निर्णय के अनुसार उक्त भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने के कारण खातेदारी से हटाई जाकर राज्य सरकार के नाम की जानी आवश्यक है। सार्वजनिक उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे में दिया जाना न्यायोचित नही है। इस प्रकार की भूमियो की सुरक्षा करना प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) का कर्तव्य है। राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन की आड़ में गैर खातेदारी अपने प्रभाव से किसी प्रकार से उक्त विवादित भूमि की खातेदारी ग्रहण कर लेता है तो राज्य सरकार की हक तलफी होगी, अपूर्तनीय क्षति होगी, आमजन को असुविधा होगी, आवश्यक मुकदमेबाजी बढेगी तथा अनेको कानूनी पेचदागियां उत्पन्न हो जायेगी। अतः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम माखर में स्थित भूमि ख.न. 321 रकबा 1.01 है0 किस्म बारानी तृतीय की खातेदारी अप्रार्थीगण के खाते से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा अन्य सिद्धि जो राज्य हित व सार्वजनिक हित में दिया जाना उचित हो व भी दिलाने की कृपा करें।

2 बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक (प्रार्थी) ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम माखर की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 321 रकबा 1.01 हैक्टर के मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2012 से 2028 के अनुसार पुराने भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 274 बीधा 9 बिश्वा थे, की खातेदारी राजकीय खाते मे गैर मु0 नदी दर्ज रिकार्ड थी। ग्राम जमाबन्दी संवत् 2025 से 2028 मे उक्त भूमि की खातेदारी गलत तरीके से दर्ज कर दी जो पलटने योग्य है। ऐसा नामान्तरकरण स्वीकार करने तथा ऐसा रिकार्ड तैयार करने का किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनी अधिकार नही है। अतः प्रार्थी का प्रा0प0 स्वीकार किया जाकर अनावेदक के खाते से हटाया जाकर पुनः गै0मु0 नदी के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने का आदेश फरमाया जावे।

3 पत्रावली का अवलोकन किया व बहस राजकीय पैरोकार पर बगौर मनन किया। ग्राम माखर की सरहद मे स्थित विवादित भूमि खसरा नम्बर 321 रकबा 1.01 हैक्टर जिसके पुराने भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 274 बीधा 9 बिश्वा थे, की खातेदारी राजकीय खाते मे गैर मु0 नदी दर्ज रिकार्ड थी। ग्राम जमाबन्दी संवत् 2025 से 2028 मे उक्त भूमि की खातेदारी गलत तरीके से दर्ज कर दी जो पलटने योग्य है। है। उक्त वर्णित भूमि गैर मुमकिन नदी होने से प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने के कारण खातेदारी दी जानी उचित नही है। पत्रावली के [illegible] तावेजात व जमाबन्दी से तथा राजकीय अभिभाषक के कथनों [illegible] पूर्व में गैर मुमकिन नदी भूमि रही है, वर्तमान में अप्रार्थीगण की गैर [illegible] में दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में हम रेफरेन्स माननीय राज[illegible] अजमेर को किया जाना उचित समझते हैं एवं विवादग्रस्त आराजी की स्थिति 15 अगस्त, 1947 के समय की किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 15:35:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

छाया प्रति प्रमाणित
कार्यालय अधीक्षक

4. अतः ग्राम माखर तहसील व जिला झुंझुनू स्थित अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज हुई भूमि हाल खसरा नम्बर 321 रकबा 1.01 हैक्टर की गैरखातेदारी निरस्त करवाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत किया जाकर निवेदन है कि भूमि खसरा नम्बर 321 रकबा 1.01 हैक्टर की गैरखातेदारी अप्रार्थीगणों के नाम से खारिज फरमाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करवाने के आदेश फरमाये जावे। साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जोधपुर के निर्णय दिनांक 02.08.2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार की पालना में विवादग्रस्त आराजी की स्थिति 15 अगस्त, 1947 के समय की किये जाने के भी आदेश फरमाये जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहां प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार झुंझुनूं को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 01.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

छाया प्रति प्रमाणित
कार्यालय अधीक्षक
कलेक्ट्रेट, झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 16:35:51 IST
Reason: SelfAttested